न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33 / 18 निर्णय दिनांक –02.07.2018

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जैसाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 22 सहवा तारानगर जिला चूरू हाल चक 2 बीवाईएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ब निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 30–09–2014

उपस्थितः

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासिनयॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2014 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रकबा वाके चक 2 बीवाईएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 105 / 30 के किला नम्बर 1 ता 23 में 22.14 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 29–05–2015 को खरीदशुदा भूमि है। जिसके अपीलांट बाई

ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन है कि इस भूमि पर अवैध रुप से खनन जिप्सम का हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दी है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 175 व 177 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष का यह दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में खनन होना पाया गया अंकित किया गया है, परन्तु वर्तमान में उक्त रकबे पर अवैद्य खनन का कार्य नहीं हो रहा है। पूर्व में खनन कार्य कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि खनन कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का क्रय किया गया था तत्समय ही उसी समय मौके पर कुछ किलों में जिप्सम निकला हुआ था तथा मौके पर गहरे गड्डे भी थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात जिप्सम निकालनें का कार्य

किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मौके पर उक्त रकबे पर अवैद्य खनन पूर्व में होना पाया गया परन्तु वर्तमान में उक्त रकबे पर अवैद्य खनन नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का बोनाफाईड परचेजर है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया गया है कि वादगत् भूमि पर वर्तमान खातेदार द्वारा अवैद्य खनन किया जा रहा है अथवा नहीं?

संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया व ना ही मौके के फोटोग्राफ आदि ही प्रस्तुत किये

गये है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर क्या वास्तव में खनन का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौके पर वास्तव में खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसका भी उल्लेख पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है।

(3) यहा यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार बज्जू के आदेश क्रमांक रीडर/2014/361 दिनांक 05—12—2014 की पालना में मौके पर पहुँचा। इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर खनन किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य खनन किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। इन सभी से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने दायित्यों का भलींभांति निर्वहन नहीं किया गया है।

(4) इस संबंध में हमने माईनिंग रूल्स का भी अवलोकन किया। हमारे समाने यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि माईनिंग रूल्स 52 (3) में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि:—

For extraction or removal of gypsum from agriculture land for improvement of land- Notwithstanding anything contained in these rules] permit for excavation and removal of gypsum from the Khatedari land shall be granted to the Khatedar for improvement of his land after approval of the Committee consisting of (a) District Collector (b)

Sub Divisional Officer of the area concered (c) Mining Engineer or Assistant Mining Engineer and (d) Senior Geologist or Geologist.

Provided that the committee shall not grant the approval where the deposition of the gypsum is more than two meter from the surface. Provided further that the approval shall not be granted for an area exceeding five hectare and for a period exceeding five years.

इस प्रकार उक्त नियम के अनुसरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि माईनिंग रूल्स के तहत भी ऐसे छोटे काश्तकारों की ऐसी भूमि जो काबिल काश्त नहीं है, पर नियमानुसार खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(5) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 175 व 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(6) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ही वादगत् भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की

खातेदारी भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि पटवारी रिपोर्ट स्वमेव में यह अंकित है कि मौके पर वर्तमान में खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित नहीं है कि वादगत् भूमि जो अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है, पर अपीलांट का खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में बिना वाद प्रक्रिया को अपनाये ही अपीलांट की खरीदशुदा भूमि 22.14 बीघा भूमि केा आराजीराज दर्ज किया जाना किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

(7) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खनन विभाग के प्रतिनिधि के साथ टीम गठित करते हुए मौका निरिक्षण किया जाना चाहिए था तथा आस–पड़ौस के व्यक्तियों के ब्यान व मौके के फोटोग्राम आदि लिये जाने चाहिए थे ताकि वादगत् भूमि के बाबत् सही स्थिति प्रकट हो सकती। अदालत मातहत द्वारा आनन–फानन में केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 30—09—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे निर्णय के पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का निस्तारण करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर